

क्रमांक :- अज/आर.टी.आई.-2024/

दिनांक : 30.04.2024

श्री एस. के. पाण्डा,

संयुक्त महाप्रबन्धक/प्रशा0 (जू.सू.अ.)

डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली।

विषय :-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई. क्रमांक-365) के बाबत।

प्रसंग :-कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त ई-मेल दिनांक 09.04.2024) के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में प्रार्थी श्री अंकित कुमार विश्‍नोई निवासी 156 ए, गार्डन रेजीडेन्सी, जयपुर पिन कोड 302012, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णितानुसार चाही गई सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त कर अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार क्रम संख्या 01 लगायत 04 प्रश्नो का उत्तर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता एवं आवेदक वाहन का स्वामी/मालिक नहीं होना अवगत कराया गया है उक्त प्रकरण वाणिज्यिक/व्यवसायिक से जुडा है।

इसे महाप्रबन्धक/समन्वय, अजमेर का अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त है।



(बृज राज)

महाप्रबन्धक/विधुत/मा0संसा0
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

Sub: Regarding Information sought under RTI ACT 2005 -RTI-365

Reply on Information sought under RTI ACT2005 in RTI -365 for the Vehicle No. RJ14GQ0649 is as under

Sr No	Item No	Information Sought	Information Provided Details
1	1	Details about all the payment made to Vehicle No. RJ14GQ0649	Can not be provided
2	2	Attach the soft copy (Pdf) of logbook and Toll plaza receipts of said vehicles that has been verified by your officials	Can not be provided
3	3	Soft copy of the Contract with the Vehicle Owner as to see the period for which the said vehicle is being used	Can not be provided
4	4	And details about the account No. and the branch of the bank to which the payment is being transferred	Can not be provided

The applicant is not the vehicle owner.
The matter pertains to commercial
confidence.

Kaushik Kumar Thakur
JPM/RTI/ADD